

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला – गुमला

वाद सं०— 60 / 2020-21

केस का प्रकार – नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर जारी</p> <p>बनाम</p> <p>श्री सुरेन्द्र उराँव विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम—पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें श्री सुरेन्द्र उराँव, पिता— सुवेदार उराँव, ग्राम— चैनपुर, पोस्ट— चैनपुर, जिला— गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 49375.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इंडिया, जारी के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित स्वं सशोधित</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी —सह—</p> <p>नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>	<p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर जारी</p> <p>बनाम</p> <p>श्री सुरेन्द्र उराँव विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम—पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें श्री सुरेन्द्र उराँव, पिता— सुवेदार उराँव, ग्राम— चैनपुर, पोस्ट— चैनपुर, जिला— गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 49375.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इंडिया, जारी के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी —सह—</p> <p>नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>